सत्यमेव जयते

अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

बृहस्पतिवार, तिथि 16 माघ, 1947 (श०) / 05 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 71

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	..	08
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	..	23
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	..	18
(4)	कृषि विभाग	..	..	..	10
(5)	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	..	..	..	07
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	..	02
(7)	सहकारिता विभाग	..	..	..	03
				कुल योग --	71

काढ़ागोला घाट का कार्य कराना

*108. श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड के काढ़ागोला घाट का चयन विगत 4 वर्ष पूर्व नमामि गंगे योजना के तहत किया गया था, परंतु अभीतक कोई भी कार्य नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नमामि गंगे योजना के तहत काढ़ागोला घाट का कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लक्ष्य पुनर्निर्धारित करना

*109. श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2024-25 के लिये औरंगाबाद जिला में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 3,07,000 (तीन लाख सात हजार) एम0टी0 निर्धारित किया गया था जबकि उत्पादन लगभग 10,40,000 एम0टी0 हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2025-26 में औरंगाबाद जिला में धान का उत्पादन लगभग 11,60,000 एम0टी0 हुआ है और धान क्रय का लक्ष्य 1,70,902 एम0टी0 निर्धारित किया गया है, जबकि लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष के अनुपात 3,50,000 एम0टी0 होना चाहिए ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो धान क्रय का लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधा करने का क्या औचित्य है ?

पेयजल आपूर्ति कराना

*110. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास प्रखंड एवं नौहट्टा प्रखंड के ग्राम-तेलकप, करमा सहित दर्जनों गाँवों में पेयजल स्रोतों के दूषित होने के कारण शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या 18 वर्षों से बनी हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दूषित पेयजल स्रोत वाले गाँवों में सोन नदी से पानी का लिफ्टिंग एवं फिल्टरिंग कर शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई करना

*111. श्री आदित्य कुमार (क्षेत्र संख्या-92 सकरा (अ0जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत राघोपुर अंचल में 'परिमार्जन प्लस' आवेदनों को तीन माह तक लम्बित रखने, अवांछित रिपोर्ट देकर परेशान करने संबंधी पत्र तत्कालीन स0वि0स0, श्री अशोक कुमार चौधरी एवं श्री सुनील मणि तिवारी द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 2025 एवं 11 सितम्बर, 2025 को तथा प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा दिनांक 5 दिसम्बर, 2025 को विभाग के प्रधान सचिव को दी गयी ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक 3722, दिनांक 13 दिसम्बर, 2025 के अनुसार डिजिटाइज्ड जमाबंदी में परिलक्षित लिपिकीय भूल/लोप से संबंधित आवेदनों की निष्पादन अवधि जो 15 कार्य दिवस है, में शिथिलता बरतने वाले चिह्नित अधिकारियों/कर्मियों पर अनुशासनिक कार्रवाई की जानी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त पत्रों पर कार्रवाई करते हुए जमाबंदी सुधार में तेजी लाकर दोषी कर्मियों को दंडित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण कराना

*112. श्री अरूण माँझी (क्षेत्र संख्या-189 मसौढी (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत सम्पतचक नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 में विरेन्द्र सिंह के मकान से जगनपुरा चिपुरा मोड़ मुख्य सड़क तक एवं उषा श्री गैस गोदाम से श्रीराम गर्ल्स स्कूल के दक्षिण जगनपुरा चिपुरा मुख्य सड़क एकतापुरम चौक, भाया छत्रपति शिवाजी ग्रीण अपार्टमेंट तक नाला नहीं रहने के कारण सड़क पर जल-जमाव की गंभीर समस्या बनी रहती है, जिससे उक्त क्षेत्र की जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उक्त दोनों सड़कों के किनारे आर0सी0सी0 नाला निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मंडी निर्माण कराना

*113. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी विधान सभा में फसलों का क्रय-विक्रय करने हेतु एक भी मंडी नहीं होने के कारण फुलवारी एवं पुनपुन प्रखंड के किसान अपने फसल को बिचौलियों को कम दाम में बेचने को मजबूर हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत वर्षों में पटना की बढ़ती आबादी के अनुरूप नयी मंडी का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि फुलवारी प्रखंड के हिन्दुनी में मंडी के निर्माण करने हेतु 3 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है जिसका प्लॉट नम्बर 853 है जिसमें आवागमन का सुलभ रास्ता एवं उपयोगी जमीन है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त हिन्दुनी मौजा में मंडी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय देना

*114. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघडा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के तेघड़ा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 280 नल-जल में से अधिकांश रख-रखाव एवं ऑपरेटर को मानदेय राशि के भुगतान नहीं होने के कारण बंद पड़ा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नल-जल योजना के रख-रखाव एवं ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान को व्यवस्थित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारियों की नियुक्ति कराना

*115. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल पूर्व में दानापुर अनुमंडल का हिस्सा था, परन्तु वर्तमान में पालीगंज अनुमंडल के पृथक होने के उपरान्त भी अबतक वहाँ ARCS (सहकारिता विभाग) का कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि ARCS कार्यालय के अभाव में पालीगंज, दुल्हिनबाजार एवं बिक्रम प्रखंड के ग्रामीणों को सहकारिता विभाग से संबंधित कार्य के निष्पादन हेतु अभी भी दानापुर अनुमंडल जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों का समय नष्ट एवं आर्थिक क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पालीगंज अनुमंडल में ARCS (सहकारिता विभाग) कार्यालय की स्थापना कराने और संबंधित पदाधिकारियों को नियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ एवं नाला निर्माण कराना

*116. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के नगर परिषद्, बोधगया अन्तर्गत वार्ड संख्या 26, मुहल्ला-पुरानी तारीडीह में देवी स्थान (पिपरपांती) से राजू ठाकुर के घर होते हुए वाटपा थाई मंदिर (सिद्धि पासवान के घर) तक पी0सी0सी0 पथ एवं नाला का निर्माण नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर पी0सी0सी0 पथ एवं नाला निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला निर्माण कराना

*117. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के नगर परिषद्, शाहपुर पटोरी अन्तर्गत वार्ड नम्बर 23 में पुरानी बाजार चौक से दक्षिण मकनपुर जाने वाली आर0डब्लू0डी0 की सड़क जर्जर है तथा सड़क के किनारे बनाया गया नाला सड़क से ऊँचा होने के कारण पानी का निकासी नहीं होता है, जिससे सड़क पर सालों भर पानी जमा रहता है एवं जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जनहित में उपर्युक्त सड़क को आर0डब्लू0डी0 से नगर विकास एवं आवास विभाग में अधिगृहित कर नाला का निर्माण ठीक ढंग से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान देना

*118. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला में वर्ष 2025 में फल्गु नदी में आई बाढ़ के कारण घोसी विधान सभा के मछली पालकों को आर्थिक क्षति हुई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रभावित मछली पालकों को क्षतिपूर्ति/अनुदान प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी कराना

*119. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखंड के गरिमान चर से लेकर रेलवे लाइन तक जल-जमाव रहता है जिससे कृषि योग्य भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो पाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रेलवे लाइन बनने के कारण कृषि योग्य उक्त जमीन से जल निकासी नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त जमीन से जल निकासी की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एग्रो मॉडल पार्क बनाना

*120. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत गुलाबबाग में कृषि विभाग की 7 एकड़ भूमि मेला ग्राउंड के नाम से नामित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गुलाबबाग एशिया का बड़ा कृषि उत्पादन बाजार समिति है जिसका देश के सभी शहरों में जुड़ाव है, फिर भी उक्त स्थान पर एग्रो मॉडल पार्क का निर्माण होने से पूर्णियाँ सहित सीमांचल के किसान परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल सकता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कृषि विभाग कि उक्त भूमि पर एग्रो मॉडल पार्क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

म्यूटेशन कार्य में पारदर्शिता लाना

*121. श्रीमती संगीता देवी (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमि म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) मामलों में अंचल अधिकारियों (C.O.) द्वारा आवेदकों को नियमानुसार सुनवाई की सूचना नहीं दी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि समयाभाव का हवाला देते हुए कई मामलों में वास्तविक सुनवाई किए बिना ही म्यूटेशन मामलों का निष्पादन कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक भूमि म्यूटेशन मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सुनवाई की अनिवार्य सूचना, डिजिटल ट्रैकिंग तथा जवाबदेही तय करने हेतु ठोस दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेंडिंग जोन बनाना

*122. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा नगर पंचायत का सिकन्दरा चौक चार जिला को जोड़ती है, जहाँ फुटपाथ दुकानदारों द्वारा सड़क किनारे ठेला लगाये जाने के कारण वहां हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल वेंडिंग जोन बनाकर जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्लांट स्थापित करना

*123. मो0 कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में लगभग 1600 एकड़ भूमि पर अनानास की पैदावार होती है, तथा वर्ष 2020 में सरकार ने किशनगंज को अनानास उत्पादक जिला घोषित किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में अबतक एक भी अनानास प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित नहीं किया गया है, जिसके कारण किसानों को अपने पैदावार का उचित कीमत नहीं मिल पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किशनगंज जिला के प्रखंड पोठिया में अनानास प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नगर परिषद् का दर्जा देना

*124. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत नगर पंचायत सुगौली की जनसंख्या 40 हजार से अधिक हो गया है, जो नगर परिषद् होने की सभी अर्हता पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत सुगौली को कबतक नगर परिषद् का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*125. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग के अन्तर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय में कनीय अभियंता की कमी को देखते हुए दिनांक 27 जून, 2023 को मंत्री परिषद् की बैठक में कुल 46 कनीय अभियंताओं के पद, मद संख्या-10 के तहत स्वीकृत किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि सचिव, कृषि विभाग के ज्ञापांक 543, दिनांक 30 जून, 2023 द्वारा कनीय अभियंताओं के कुल 46 पद की स्वीकृति हेतु पत्र निर्गत कर नियमावली बनाई गई थी, परन्तु अबतक स्वीकृत पद पर नियुक्ति नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भूमि संरक्षण निदेशालय में कनीय अभियंताओं की कमी को देखते हुए मंत्री परिषद् द्वारा स्वीकृत पद पर कबतक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धान अधिप्राप्ति कराना

*126. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत बैसा प्रखंड के चंदेल पंचायत में पैक्स द्वारा किसानों से धान की अधिप्राप्ति नहीं किये जाने से किसान अपना धान बिचौलियों को औने-पौने दाम पर बेचने पर विवश है, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत में पैक्स द्वारा धान की अधिप्राप्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी निर्माण कराना

*127. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0 जा0))--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती प्रखंड स्थित गौशाला के चहारदीवारी का निर्माण नहीं होने के कारण असामाजिक तत्व गौशाला में प्रवेश कर पशुओं को तंग करते हैं, जिससे पशुओं को परेशानी झेलना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गौशाला के चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि अधिग्रहण करना

*128. डॉ0 रामानन्द यादव (क्षेत्र संख्या-185 फतुहा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा विधान सभा क्षेत्र के फतुहा प्रखंड के

पंचायत जैतिया, मौजा जैतिया, थाना 79 में भू-अर्जन वाद सं0 02/2023-24, के द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एम0एम0एल0पी0 के लिये 108 एकड़ भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा 05 वर्ष पूर्व से किया जा चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुनः इसी मौजा में 242 एकड़ भूमि सरकार द्वारा फिनटेक सिटी परियोजना के लिये अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया किया जा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि भारत माला परियोजना के पूरब तरफ बंजर भूमि उपलब्ध है, जिसे अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है और किसानों के उपजाऊ भूमि को अधिग्रहण किया जा रहा है, यहां के किसानों का मुख्य पेशा कृषि है, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उपजाऊ भूमि को न अधिग्रहण कर भारत माला परियोजना के पूरब तरफ बंजर भूमि को अधिग्रहण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिमा स्थापित करना

*129. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखण्ड के बभनगामा पंचायत में जिला स्तरीय पशु एवं मत्स्य संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बभनगामा केन्द्र के निर्माण हेतु बहुमूल्य भूमि बभनगामा ठाकुरबाड़ी के महंत श्री श्री 108 स्वर्गीय नंदकिशोर दास जी द्वारा जनहित में विभाग को दान स्वरूप दी गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों द्वारा उक्त केन्द्र का नामकरण दानदाता के नाम से किये जाने एवं केन्द्र परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित किये जाने की मांग की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त केन्द्र का नामकरण महंत श्री श्री 108 स्वर्गीय नंदकिशोर दास, जिला स्तरीय पशु एवं मत्स्य संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बभनगामा करने एवं परिसर में उक्त महंत जी की प्रतिमा कबतक स्थापित कराने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

योजना क्रियान्वित करना

*130. श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या-243 चकाई)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड चकाई स्थित पंचायत ढ़ाड़ी एवं पंचायत बोंगी जंगल एवं पहाड़ से घिरा है, जिससे उक्त दोनों पंचायत के 100 एकड़ भूमि की मिट्टी वर्षा के दिनों में बह जाते हैं, जिससे वहां के किसानों के लिये कृषि भूमि का अभाव हो जाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकर उक्त वर्णित दोनों पंचायतों में भूमि संरक्षण एवं जल छाजन क्षेत्र के अंतर्गत एन0आर0एम0 एवं पी0सी0डी0 जैसी आदि योजनाओं का क्रियान्वयन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण कराना

*131. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला मुख्यालय नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के बूंद बिहार कॉलोनी नंबर 2 में अभीतक पक्की सड़क का निर्माण नहीं होने से बरसात के दिनों में आमजनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कॉलोनी में पक्की सड़क का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय देना

*132. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के पैक्स में कार्यरत प्रबंधकों को विभाग से मानदेय/वेतन भुगतान करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा संचिका संख्या-06 पणन 104/2025, दिनांक 25 अगस्त, 2025 को लोक वित्त समिति को अनुमोदन के लिए भेजी गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमोदन नहीं मिलने के कारण पैक्स में कार्यरत प्रबंधकों का मानदेय/वेतन लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त संचिका पर अनुमोदन देकर पैक्स प्रबंधकों के मानदेय/वेतन का भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*133. मो० फैसल रहमान (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत चोरमा से बैरगनिया तक सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अनुसार ढाका नगर परिषद् क्षेत्र की अधिसूचित व्यावसायिक भूमि भी सम्मिलित है, जिसे कृषि श्रेणी में दर्शाकर न्यूनतम दर से भुगतान किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस के कारण किसानों एवं भू-स्वामियों को लाखों रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इस पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराते हुये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*134. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))-- क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड अन्तर्गत थाना नं०-224, खाता नं०-234, खेसरा नं०-01, 35, 112, 115, 193, गैर-मजरूआ सर्वसाधारण रास्ता की जमीन को तोसीम, युनुस इत्यादि ग्राम-भवानीपुर, थाना-अमदाबाद, जिला-कटिहार द्वारा अतिक्रमित कर ली गई है जिससे आम रास्ता बाधित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसे अतिक्रमण मुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पोर्टल चालू करना

*135. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 (बेनीपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के बैरमपुर पंचायत के हाँसी एवं मिर्जापुर में राजस्व पोर्टल 2021-22 से बंद है । जिस कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल के राजस्व पोर्टल को खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल आपूर्ति कराना

*136. श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-156 (भागलपुर))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कई क्षेत्रों में वर्तमान में नल-जल दूषित/मलिन अवस्था में प्राप्त हो रहा है तथा दक्षिण क्षेत्रों की नालियाँ खुटहा रोड स्थित गौरधौय नदी में गिरने एवं वहां स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के पूर्णतः क्रियाशील नहीं होने के कारण जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे नागरिकों में जलजनित रोगों का खतरा बढ़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में पूर्व से स्थापित कई प्याऊ एवं पानी की टंकियाँ जर्जर अवस्था में हैं, तथा समुचित रख-रखाव के अभाव में बंद पड़ी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित क्षेत्रों में स्वच्छ नल-जल की आपूर्ति सुचारू रूप से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि उपलब्ध कराना

*137. श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बढ़हरा कोठी प्रखंड के पंचायत लक्ष्मीपुर, वार्ड-06 के कई परिवार भूमिहीन होने के कारण पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि भूमिहीन परिवार को सरकार द्वारा अवासीय भूमि उपलब्ध करा देने से उक्त वार्ड के घर विहीन परिवारों को पीएम आवास का लाभ मिल पायेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*138. मो० आबिदुर रहमान (क्षेत्र संख्या-49 अररिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया नगर परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत बरमा सेल से चाँदनी चौक, ए०डी०बी० चौक, बस स्टैण्ड, होते हुये एस०एस०बी० कैम्प तक NH327E सर्विस सड़क पर स्थानीय व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण करने के कारण शहर में हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड-1 में वर्णित पथ में पशुपालन विभाग का सदर अस्पातल भी है, जिसके जाम रहने के कारण पशुपालकों को पशु चिकित्सा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड-1 में वर्णित सड़क को स्थायी रूप से कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कैंप कार्यालय खोलना

*139. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफरपुर जिला के मुशहरी प्रखंड के सात पंचायत अखाड़ाघाट पुल के पार है, जिससे मुशहरी अंचल मुख्यालय की दूरी 20 किलोमीटर है। यदि हाँ, तो सरकार कबतक अखाड़ा घाट पुल के पार भीखनपुर में सप्ताह में एक दिन मुशहरी अंचल का कैंप कार्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र बनाना

*140. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला में दुग्ध डेयरी या दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र नहीं रहने के कारण पशुपालकों को दूध का सही कीमत नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वहां पुशपालकों की संख्या घटते जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला दुग्ध डेयरी या दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रखंड पकरीबरावां स्थित कचना रूपौ पथ में ग्राम हसनगंज के सामने बिहार सरकार की परती भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नवादा में दुग्ध डेयरी या दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र कबतक स्थापित करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*141. श्री भाई बिरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मनेर परिषद् स्थित 25 वार्डों में जलमीनार स्थापित नहीं रहने से आवासित नागरिकों के साथ आमजनों को पेयजल की आपूर्ति नहीं होने से कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित नगर परिषद् में जलमीनार की स्थापना कर पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि महाविद्यालय की स्थापना कराना

*142. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड के मौजा अवर्हियाँ में NH-19 के बगल में खाता संख्या-424, खेसरा संख्या 245, रकवा 25.5 एकड़ कृषि विभाग की भूमि उपलब्ध रहने के बावजूद जिला में एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण कृषि की पढ़ाई के लिये छात्र-छात्राओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त कृषि विभाग की भूमि पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल चालू कराना

*143. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 (मधुबन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मधुबन प्रखंड अंतर्गत रूपनी पंचायत के ग्राम-भगवानपुर, वार्ड सं० 01 में नल-जल 7 वर्ष पूर्व लगाया गया था, परन्तु एक दिन भी जलापूर्ति नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नल-जल को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क निर्माण कराना

*144. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के शेरघाटी नगर परिषद् क्षेत्र में पर्याप्त भूमि रहने के बावजूद पार्क नहीं रहने के कारण बच्चों को खेलने-कूदने एवं बुजुर्गों को घुमने-फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार नगर परिषद् शेरघाटी में कबतक पार्क का निर्माण करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*145. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल है, जहां प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय 'विक्रमशिला महोत्सव' एवं अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व सरकारी कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि कहलगाँव नगर क्षेत्र में एक भी सर्वसुविधायुक्त बहुद्देशीय भवन या सम्राट अशोक भवन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण विक्रमशिला महोत्सव जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों को टेंट/पंडाल में आयोजित करना पड़ता है जिससे वर्षा या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थल पर सम्राट अशोक भवन' (टाउन हॉल) का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*146. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखंड के जाले साथी चौक के समीप अवस्थित सरकारी भूमि, जिसका खाता संख्या 1470 एवं खेसरा संख्या 8271 एवं 8272 है, का अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अपर समाहर्ता, दरभंगा (न्यायालय अपर समाहर्ता) द्वारा पत्रांक 991/न्या0, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी, जाले को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके आलोक में अंचल प्रशासन द्वारा एक दिन अतिक्रमणवाद चलाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की औपचारिक प्रक्रिया अपनाई गई थी, परंतु पुनः उक्त भूमि का अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जनहित में उक्त सरकारी भूमि को स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आयुर्वेद महाविद्यालय का सरकारीकरण करना

*147. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मुख्यालय में करीब 70 वर्षों से रविन्द्र नाथ मुखर्जी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सुचारू रूप से चालू है, जिसका 1987 में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे द्वारा सरकारीकरण की घोषणा की गयी थी, परंतु अभी तक सरकारीकरण नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के ज्ञापांक 1584, दिनांक 3 अप्रील, 2025 के द्वारा उक्त आयुर्वेद महाविद्यालय की भूमि का लीज समाप्ति उपरांत भूमि वापस लेने का पत्र निर्गत किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक लीज समाप्ति पत्र को निरस्त कर उक्त आयुर्वेद महाविद्यालय का सरकारीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य सम्पादित कराना

*148. श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत नगर परिषद् बैरगनिया में साफ-सफाई का कार्य सम्पादित करने हेतु 4086754 रु0 (चालीस लाख छियासी हजार सात सौ चौवन) रुपये का आवंटन प्रतिमाह के दर से सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु वहाँ सड़कों एवं नालियों की सफाई नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से नहीं किये जाने के कारण चारो ओर गंदगी फैली रहती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर परिषद् क्षेत्र में सड़कों एवं नालियों की नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से सफाई कार्य सम्पादित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौन्दर्यीकरण कराना

*149. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बाढ़ नगर परिषद् क्षेत्र के गंगा नदी तट स्थित गौरीशंकर घाट एवं खान साहब घाट का निर्माण नहीं होने के कारण आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर परिषद् स्थित घाटों का निर्माण सहित सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन आवंटित करना

*150. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम-चकरामी के रोहित दास एवं अन्य 27 भूमिहीन विस्थापित परिवार को मौजा-नगरपाड़ा, थाना नं0 1/2, खाता 751, खेसरा 1747 में 03-03 डी0 जमीन, जो कि गड्ढा है जिसमें सालों भर पानी भरा रहता है, का पर्चा दे दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विस्थापित परिवारों को आवंटित जमीन को रद्द करते हुए ऊंचे स्थान वाली मौजा-सिहपुर, थाना नं0 07, थाना भवानीपुर, खाता 1785, खेसरा नं0 128 में 81 डी0 जमीन आवंटित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दिशा-निर्देश जारी करना

*151. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हर घर नल का जल योजना में मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सरकार द्वारा ठेकेदार एवं वार्ड सदस्य दोनों को दी गई है, परंतु मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बराबर जलापूर्ति बाधित रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त योजना में मेंटेनेंस हेतु संवेदक एवं वार्ड सदस्य दोनों की जिम्मेदारी के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु मेला चालू करना

*152. श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड में वर्ष 2020 तक पशु हाट का वृहद मेला लगता था, जिसे पाँच वर्षों से बंद कर दिया गया है, जिस कारण पशुपालक को पशुओं को खरीदने-बेचने में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पशु मेला में दूर-दराज से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर आते थे तथा उचित दाम भी मिल जाता था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक फारबिसगंज में बंद पशु हाट मेला को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय निर्माण कराना

*153. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आज भी गाँवों में खेती, किसानी एवं पशुपालन ग्रामीणों की जीविका का मुख्य साधन है तथा पशु अस्पताल दूर होने के कारण पशुपालकों को अपने बीमार पशु की चिकित्सीय सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत झौआ (झंझारपुर) के 8-10 कि0मी0, मदनपुर (लखनौर) के 10 कि0मी0 एवं परवलपुर (मधेपुर) के लगभग 8 कि0मी0 की परिधि में कोई भी पशु चिकित्सालय नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मधुबनी जिला के काको (झंझारपुर), मदनपुर (लखनौर) एवं परवलपुर (मधेपुर) में पशु चिकित्सालय का निर्माण कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

राजकीय मेला का दर्जा देना

*154. श्री जयन्त राज (क्षेत्र संख्या-159 अमरपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बांका जिलान्तर्गत शम्भुगंज प्रखंड के ग्राम-हरिवंशपुर में अवस्थित माँ तेलडीहा दुर्गा मंदिर शक्तिपीठ का निर्माण 1603 ई0 में हुआ है, जहाँ दुर्गा पूजा के समय बिहार सहित झारखंड, बंगाल तथा अन्य राज्यों से मेला देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मंदिर के मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिलाने का विचार रखती हैं, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह निर्माण कराना

*155. श्री विजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अंतर्गत बरारी प्रखंड का काढ़ागोला घाट सीमांचल तथा कोशी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घाट है, जहाँ पाँच जिलों से पार्थिव शरीर संस्कार दाह के लिये आते हैं, परंतु वहाँ शवदाह गृह नहीं रहने के कारण बाढ़ के समय परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार काढ़ागोला घाट पर कबतक शवदाह गृह के निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड का निर्माण कराना

*156. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के चेनारी एवं रोहतास नगर पंचायत क्षेत्र में वेंडिंग जोन एवं बस स्टैण्ड नहीं रहने के कारण स्थानीय दुकानदारों, फुटपाथ विक्रेताओं एवं आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों नगर पंचायतों में कबतक वेंडिंग जोन एवं बस स्टैण्ड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमाबंदी रद्दीकरण स्थगित करना

*157. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बरौनी प्रखंड के मौजा मल्हीपुर, थाना नं0 503, खाता नं0 261, खेसरा नं0 890 एवं 891 का रकबा लगभग 1059 बीघा का जमाबंदी रद्द कर लगान का रसीद काटना बंद करा दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन की सभी जमाबंदियों को अंचलाधिकारी बरौनी के प्रतिवेदन पर अपर समाहर्ता, बेगूसराय द्वारा बिना रैयतों का पक्ष जाने रद्द कर दिया गया है, जिससे 250 से अधिक परिवारों का कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व पर संकट उत्पन्न हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमाबंदी रद्दीकरण के फैसले को स्थगित कर किसानों के जमीन का जमाबंदी पूर्ववत रखना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूर्ण कराना

*158. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ0जा0))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के बोधगया नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत अमवां पईन के पक्कीकरण कार्य की स्वीकृति वर्ष 2023-24 में प्रदान की गई है, जिसकी लम्बाई 600 मीटर है, जिसमें अबतक मात्र 200 मीटर ही कार्य कराया गया है, जिसके कारण आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार शेष बचे हुए कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ड्रेनेज की व्यवस्था कराना

*159. श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला अन्तर्गत घोसी, काको एवं हुलासगंज क्षेत्रों में समुचित ड्रेनेज व्यवस्था नहीं रहने के कारण बरसात के मौसम में वहाँ जल-जमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे उक्त क्षेत्र की जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्रों में समुचित ड्रेनेज की व्यवस्था कराने का विचार रखते है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा मुक्त कराना

*160. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत महाराजपुर मौजा, थाना सं0-342 खाता सं0-697, 697, 697 खेसरा सं0-1800, 1800, 1802 रकबा-1.32 डी0, 2 एकड़, 2 एकड़ जमाबंदी सं0-2182, 1038, 1039 पर भू-माफियाओं द्वारा फर्जी कागत बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन 20 बीघा की है जो बिहार सरकार की है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जमीन की जांच कराकर अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भुगतान कराना

*161. मो0 कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरूआत किया गया था और चयनित पात्र लाभुकों को वर्ष 2015 से 2024 तक पी0एफ0एम0एस0 (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) के द्वारा भुगतान किया जाता था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2025 से उक्त योजना के पात्र लाभुकों को सी0एफ0एम0एस0 (कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के द्वारा भुगतान किया जा रहा है, जो एक जटिल प्रक्रिया है, जिस कारण जिला-किशनगंज, पूर्णियाँ, अररिया इत्यादि सभी जिलों के लगभग 90 प्रतिशत चयनित पात्र लाभुकों का भुगतान विगत एक साल से लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शहरी आवास योजना के पात्र लाभुकों को पुनः पी0एफ0एम0सी0 के द्वारा भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शवदाह गृह निर्माण कराना

*162. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत नगर पंचायत सुगौली में शवदाह गृह नहीं होने के कारण आमलोगों को शवदाह करने में असुविधा होती है, जबकि सिकरहना नदी पुल घाट पर शवदाह गृह हेतु थाना नं0-38, खाता नं0-31, खेसरा नं0-2325 में पर्याप्त गैर-मजरूआ भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत सुगौली में उक्त वर्णित स्थल पर शवदाह गृह का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*163. श्री अख्तरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अंतर्गत बैसा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पद पिछले 06 माह से रिक्त रहने से उपभोक्ताओं सहित जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में कबतक स्थायी तौर पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेबसाइट पर अपडेट करना

*164. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय प्रखण्ड के मोहनपुर पंचायत का नाम कृषि विभाग के डी0 बी0 टी0 पोर्टल एवं बेगूसराय अंचल के सर्विस प्लस वेबसाइट पर विगत कई वर्षों से प्रदर्शित नहीं हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत का नाम संबंधित वेबसाइट/पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय किसानों को कृषि योजनाओं का आवेदन करने तथा आम ग्रामीणों को राजस्व संबंधी प्रमाण-पत्र बनवाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मोहनपुर पंचायत का नाम कृषि विभाग के पोर्टल एवं बेगूसराय अंचल के सर्विस प्लस वेबसाइट पर अपडेट कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रैयतों को मुआवजा देना

*165. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के गुरूआ प्रखंड के सिमारू पंचायत के नवाबचक ग्राम में श्री अशोक कुमार, श्री कृष्ण मुरारी सिंह, राजेंद्र सिंह, राम नंदन प्रसाद सहित अनेक रैयतों का जमीन थाना नंबर 619 के खाता संख्या 63 का प्लॉट नंबर 39 एवं खाता संख्या 70 का प्लॉट नंबर 369 में स्थित है तथा उक्त जमीन का जमाबंदी 30 वर्ष से कायम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन का अधिग्रहण सरकार द्वारा नहर निर्माण हेतु किया जा रहा है और जमीन को मालिक गैर-मजरूआ बताकर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है जबकि यह जमीन रैयती है और हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त जमीन को नियमानुसार रैयती घोषित करते हुए रैयतों को मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मवेशी अस्पताल का निर्माण

*166. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखण्ड के पंचायत खास टभका उत्तर के कोरबद्धा, वार्ड-03 में मौजा खास टभका, खाता संख्या-113, खेसरा संख्या-115, 116, कुल रकबा-37 डिसमील जमीन मवेशी अस्पताल के निर्माण हेतु दिनांक 04 नवम्बर, 2023 को महंत किशोरी शरण दास द्वारा सरकार को रजिस्ट्री की गई थी, इसके बावजूद मवेशी अस्पताल के निर्माण की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित जमीन पर मवेशी अस्पताल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड का निर्माण

*167. मो0 फैसल रहमान (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका विधान सभा क्षेत्र के ढाका नगर परिषद् क्षेत्र में सुव्यवस्थित बस स्टैंड नहीं रहने से नगर क्षेत्र में आए दिन यातायात जाम की गंभीर समस्या बनी रहती है, जिससे आम यात्रियों एवं व्यापारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ढाका नगर परिषद् क्षेत्र में बस स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जा दिलाना

*168. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0 ज0 जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत भू-बन्दोबस्ती अभिलेख संख्या-19/92-93 द्वारा मौजा भवानीपुर, थाना सं0-351, खाता सं0-120, खेसरा सं0-55, रकबा-0.70 डि0 जमीन जेठु ऋषि, पिता-गोविन्द ऋषि, सा0-भवानीपुर, थाना-अमदाबाद, जिला-कटिहार को बन्दोबस्त किया गया है, लेकिन उनको अबतक उक्त बन्दोबस्त भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पर्चाधारी को बन्दोबस्त भूमि पर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आर्सेनिक मुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना

*169. श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिणी भागलपुर में पेयजल स्रोतों में आर्सेनिक की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा आर्सेनिक प्रभावित वार्डों/ग्रामों की पहचान हेतु सर्वेक्षण एवं जल गुणवत्ता परीक्षण कराए गए हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त क्षेत्र में आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का लाभ दिलाना

*170. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां (अ0 जा0))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों की निर्भरता कृषि यंत्रों पर अत्यधिक हो गई है, परंतु कृषि यांत्रिकीकरण योजना को सीमित समय तथा लॉटरी के माध्यम से किये जाने के कारण इसका समुचित लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त योजना का संचालन पूरे वर्ष करते हुये जरूरतमंद किसानों को इसका लाभ दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड निर्माण कराना

*171. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत नगर परिषद्, वारिसलीगंज में बस स्टैंड नहीं रहने के कारण नवादा, पटना, बिहारशरीफ, पकरीवरावां, जमुई, बरबिगहा जाने वाली दर्जनों बसें बाजार के चौक-चौराहों से खुलती है, जिससे बाजार में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जबकि वारिसलीगंज में शेरपुर मोड़ के निकट बस स्टैंड के निर्माण हेतु बिहार सरकार की परती जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वारिसलीगंज शेरपुर मोड़ के निकट बिहार सरकार की पतरी जमीन पर बस स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रसीद निर्गत करना

*172. श्री भाई बिरेंद्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत मनेर प्रखंड के मेशरपाल पंचायत के भू-स्वामियों का वित्तीय वर्ष 2011-12 तक भूमियों का लगान रसीद सरकार द्वारा निर्गत किये जाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2012-13 से वर्तमान समय तक लगान रसीद निर्गत नहीं होने से उक्त पंचायत के भू-स्वामियों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित पंचायत के भू-स्वामियों को भूमि लगान रासीद निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*173. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव नगर पंचायत एक ऐतिहासिक और पुराना नगर निकाय है, जो नगर परिषद् में उत्क्रमित होने की सभी आवश्यक मापदंडों को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार नगर पंचायत कहलगाँव को कबतक नगर परिषद् में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राहत देना

*174. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अंतर्गत ग्राम-राढ़ी में पुराना खाता संख्या 1643 की लगभग 500 एकड़ भूमि को अंचलाधिकारी द्वारा बिना विधिवत जांच के रोक सूची में डालकर सरकारी भूमि घोषित करने की प्रक्रिया अपनाने से 400 से अधिक परिवारों के भू-स्वामित्व एवं आजीविका पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, जबकि उक्त भूमि के संबंध में दरभंगा महाराज द्वारा की गई बंदोबस्ती के वैध कागजात उपलब्ध हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों द्वारा अंचलाधिकारी को इस सम्बन्ध में पूर्व में आवेदन दिये गये, लेकिन अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर ग्रामीणों को राहत देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*175. श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनिया अंचल के परसौनी ग्राम में खाता सं०-696, खेसरा सं०-2223, रकबा, 0.7 डी० सड़क की जमीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भू-खण्ड पर अतिक्रमण कर दुग्ध केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त अवैध निर्माण को हटाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराते हुये आवागमन सुचारू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परिसीमन करना

*176. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बाढ़ नगर परिषद् की आबादी लगभग 1 लाख है, जिसमें 14 वार्ड असर्वेक्षित रहने के कारण उक्त वार्डों में आवासित जनता को नगर परिषद् से संबंधित विकास कार्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बाढ़ नगर परिषद् के 14 असर्वेक्षित वार्डों का सर्वेक्षण कराकर परिसीमन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पाइप लाइल बिछाना

*177. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया विधान सभा क्षेत्र में हर घर नल का जल योजना अंतर्गत बिछाये गये पाइप लाइन को मानक गहराई तक नहीं बिछाये जाने के कारण बार-बार पाइप क्षतिग्रस्त हो रहा है और जलापूर्ति बाधित होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक केसरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बिछाए गये पाइप लाइन को मानक गहराई तक बिछाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

फार्मर आई०डी० बनवाना

*178. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के किसानों की भूमि का जमाबंदी उनके पूर्वजों के नाम से रहने के कारण उनका पहचान-पत्र नहीं बन पा रहा है, जिससे वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जायेंगे, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पूर्वजों के नाम से जमाबंदी रहने वाले किसानों को भी किसान पहचान-पत्र बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 05 फरवरी, 2026 (ई०) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि०स०मु० 12 (एल०ए०) 2025-26- डी०टी०पी०-550

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026